भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3930

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

तमिलनाडु में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकित ग्राहक

3930. श्री मलैयारासन डी.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 तक अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत नामांकित कुल अभिदाताओं की संख्या कितनी है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में नामांकन संख्या क्या है;

(ख) कुल अभिदाताओं में महिला प्रतिभागियों की हिस्सेदारी और तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कितना है;

(ग) क्या सरकार का अधिकतम गारंटीकृत पेंशन भुगतान को 5,000 रुपए से 10,000 रुपए प्रति माह करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रस्तावित बढ़ी हुई पेंशन लाभ की शुरुआत की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;

(ड.) एपीवाई के अंतर्गत तमिलनाडु में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शिक्षित करने और नामांकित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और इसके प्रभाव की निगरानी किस प्रकार की जा रही है; और

(च) क्या एपीवाई की प्रभावशीलता, विशेष रूप से महिलाओं और दक्षिणी राज्यों के लाभार्थियों के बीच का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन रिपोर्ट निर्धारित है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): देश भर में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 तक सकल नामांकन और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान (दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार) नए नामांकन क्रमशः 7,60,90,481 और 42,14,736 हैं।

(ख): देश भर में एपीवाई के अंतर्गत दिनांक 31.07.2025 की स्थिति के अनुसार, कुल नामांकन 8,03,05,217 हैं, जिनमें से 3,87,05,968 महिला प्रतिभागी हैं। तमिलनाडु में, दिनांक 31.7.2025 की स्थिति के अनुसार, सकल एपीवाई नामांकन 52,35,234 हैं, जिनमें से 29,86,438 महिला प्रतिभागी हैं।

(ग) और (घ): अटल पेंशन योजना 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये प्रति माह की लचीली न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। तदनुसार, वर्तमान में एपीवाई में शामिल होने की आयु और चुनी गई पेंशन राशि के आधार पर प्रति माह सदस्यता राशि 42 रुपये से 1454 रुपये तक है। पेंशन राशि में किसी प्रकार की वृद्धि से अंशदान राशि में पर्याप्त वृद्धि होने और अभिदाता पर और अधिक भार पड़ने की संभावना है। वर्तमान में, यह निर्णय लिया गया है कि योजना को समान निबंधन और शर्तों के साथ जारी रखा जाए और पेंशन और परिणामी अंशदान राशि में और वृद्धि न की जाए।

(ड.): सरकार और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने तमिलनाडु सहित देश में एपीवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कवरेज करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. जागरूकता सृजन के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया में आवधिक विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।

ii. भौतिक एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम और टाउनहॉल बैठकें पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाती हैं।

iii. पात्र लाभार्थियों को एपीवाई का प्रचार करने के लिए बैंकिंग संवाददाताओं (बीसी) और बैंकों के फील्ड स्टाफ, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) की बैंक-सखियों के लिए वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

iv. एपीवाई के बारे में जागरूकता फैलाने और कवरेज करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और एसआरएलएम के साथ भागीदारी।

(च): अटल पेंशन योजना पर प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक नामांकन रुझानों के आधार पर किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में, महिलाओं के लिए नामांकन प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 52% अधिक था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 में, महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 54.64% हो गई।

*****